

कार्यालय-आदेश

दिनांक 15.11.2018 को आयोजित बियाडा निदेशक पर्सद की 55वीं बैठक के कार्यावली संख्या-04 में लिए गए निर्णय के आलोक में आवंटियों से संबंधित विभिन्न परमिशन को सशुल्क सूचना में निम्नांकित प्रकार से परिवर्तित किया जाता है:-

क्रम	कार्य की विवरणी	प्रक्रिया
1	उत्पाद परिवर्तन	पूर्व की भांति रू0 5000/- शुल्क लिया जाये।
2	शेयर परिवर्तन एवं भूमि हस्तानांतरण	Inheritance या Successor की स्थिति में हस्तानांतरण शुल्क रू0 5000/- देय होगा।
3	कारखाना नक्शा अनुमोदन	बियाडा एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाये।
4	नाम परिवर्तन	इसके लिए रू0 5000/- शुल्क लिया जाये।
5	लीज अवधि का विस्तार	50वीं निदेशक पर्सद के निर्णय के आलोक में बियाडा के भूमि दर का 15 प्रतिशत राशि लेने का निर्णय लिया गया।
6	विभिन्न प्रकार की अनुमति (औद्योगिक नीति के अनुसार)	किसी भी प्रकार के अनुमोदन के लिए रू0 5000/- शुल्क देय होगा।
7	Mortgage of Land Bank/ Financial Institution/ other financial cos. Etc. The has reference to Hon'ble High Court order in CWJC Case No. 3599 of 2011 (which is enclosed)	इस कार्य हेतु आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र के लिए 15 दिनों का समय सीमा निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

दिनांक...26/11/18...

ज्ञापांक:-...S.S.S.P.D

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/तकनीकी परामर्शी/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/आई0 टी0 शाखा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11
प्रबंध निदेशक।